

प्रेषिका,

अंकिता बौद्ध,  
सिविल जज(जू.डि.)/एफ.टी.सी नवीन,गोण्डा।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
गोण्डा।

संख्या:-

दिनांक:-

**विषय:-** कार कय किये जाने पर पूर्व में दिये गये प्रार्थना पत्र की आपत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन के साथ कहना है कि मैं जनपद न्यायालय, गोण्डा में सिविल जज(जू.डि.)/एफ.टी.सी नवीन, गोण्डा के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने अपने वेतन लोन व बचत के पैसे से दिनांक 16.06.2020 को **MARUTI SUZUKI NEXA CIAZ ALPHA PETROL/HYBRID, BS-VI** कार कय की है, जिसकी कुल कीमत मय रजिस्ट्रेशन बीमा आदि मु0- 11,70,561.00/-रुपये (ग्यारह लाख सत्तर हजार पांच सौ इकसठ रुपये मात्र) है, जिसमें मैंने पूर्व में सूचित किया था कि मु0 9,50,000.00/-रुपये (नौ लाख पचास हजार रुपये मात्र) का ऋण मेरे द्वारा लिया गया है एवं शेष धनराशि मु0 2,20,561.00/-रुपये (दो लाख बीस हजार पांच सौ इकसठ रुपये मात्र) का भुगतान किया गया है, जो मेरी उपवर्णित बचत की थी। पूर्व में कुछ आवश्यक तथ्य भूलवश बताना छूट गये थे। मुझे 10,000.00/रुपये (दस हजार रुपये मात्र) की छूट कार डिलर के द्वारा कॉर्पोरेट ऑफर के तहत प्रदान की गयी थी एवं 39,000.00/रुपये (उनतालीस हजार रुपये मात्र) की अन्य छूट इस कारण प्रदान की गई थी। क्योंकि गाड़ी दुर्घटना ग्रस्त होने के कारण उसका वोनट उन्होंने बदलवाया था। मेरे भाई द्वारा दिनांक 04.03.2020 को गाड़ी की बुकिंग 11,000.00/रुपये देकर की गई थी जो दिनांक 12.03.2020 को मैंने अपने भाई को वापिस कर दिये थे। तत्पश्चात् जब समस्त कागजात बनकार तैयार हुये एवं कार डिलर का दिनांक 23.03.2020 नियत था परन्तु उसी समय लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से मैं उस समय कार नहीं ले पायी। फिर 16 जून, 2020 को जब गाड़ी लेने गई तो कार डिलर के द्वारा बताया गया कि कोई दूसरी कार नहीं मिल पायेगी यही अन्तिम कार बची है। इस प्रकार उन्होंने मुझे 39,000.00/रुपये (उनतालीस हजार रुपये मात्र) की छूट गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से प्रदान की गयी। पूर्व में यह तथ्य मुझसे सहवन् बताना छूट गया था। इस

प्रकार मैंने 1,36,000.00/-रु० एकाउण्ट से एवं 35,000.00/-रु० का कॅश भुगतान किया। 35,000.00/रुपये मैंने कॅश के रूप में भुगतान किया था जो मेरे द्वारा मासिक खर्च में से बचत करके गाड़ी क्रय करने हेतु इकट्ठा किये गये थे। मैंने भूलवश जो कार डिलर के द्वारा मुझे क्रय मूल्य में छूट प्रदान की गयी थी उसको भी जोड़ लिया गया था। अतः 1,36,000.00/-रु० + 35,000.00/-रु० + 10,000.00/रुपये + 39,000.00/रु० = 2,20,000.00/रुपये (दो लाख बीस हजार रुपये मात्र) हो रहा है।

अतः माननीय महोदय, जी के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

ससम्मान।

भवदीया,

*Ankita Boudhe*  
24/03/21  
(अंकिता बौद्ध)

सिविल जज(जू.डि.)/एफ.टी.सी नवीन,  
गोण्डा।

संलग्नक

1. 39,000.00/रुपये की छूट की छायाप्रति।
2. बैंक एकाउण्ट पासबुक की छायाप्रति।

प्रेषिका,

अंकिता बौद्ध,

सिविल जज(जू.डि.)/एफ.टी.सी नवीन,गोण्डा।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,

गोण्डा।

विषय:- परिवार के सदस्यों एवं घर के खर्च हेतु मांगे गये विवरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन के साथ कहना है कि मैं जनपद न्यायालय, गोण्डा में सिविल जज(जू.डि.)/एफ.टी.सी नवीन, गोण्डा के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे परिवार में छः लोग हैं, माता-पिता, एक बड़ी बहन व दो छोटे भाई हैं। मेरे पिता घर का पालन-पोषण करते हैं। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और वह अपने ससुराल में रहती हैं। मेरा छोटा भाई स्वयं व्यवसाय करता है। वह भी मेरे पिता के साथ घर का पालन-पोषण करता है। मेरा सबसे छोटा भाई अभी बी०ए० द्वितीय वर्ष में पढाई करता है, जिसका कुछ अंश कभी-कभी मेरे द्वारा भी दिया जाता है। मेरे ऊपर घर का सम्पूर्ण दायित्व तो नहीं है यद्यपि मेरे माता-पिता ने मुझे पढाया-लिखाया है इसलिए मैं अपने आप को उनका ऋणी मानते हुए अपना दायित्व समझती हूँ। मैं अविवाहित हूँ तथा अकेली रहती हूँ। मेरा खर्च जिस समय मैंने कार खरीदी थी उस समय प्रति माह बहुत मुश्किल से 7-8 हजार रुपये ही था क्योंकि लॉकडाउन लगने के कारण न काम वाली आती थी और न ही मैं कहीं बाहर कुछ खरीदने ही जा सकती थी केवल राशन पानी एवं सब्जी का ही अकेले का खर्च 7-8 हजार रुपये ही होता था, परन्तु मैं कभी-कभी जब मन करता है तो ऑनलाइन शॉपिंग या घर के तमाम तरह की छोटी-मोटी चीजों को खरीदने में पैसे खर्च कर देती हूँ। तथा अब भी अकेले ही रहती हूँ।

माननीय महोदय, जी के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।

सादर!

भवदीया,

Ankita Boudha  
24/03/21  
(अंकिता बौद्ध)

सिविल जज(जू.डि.)/एफ.टी.सी नवीन,  
गोण्डा।